दिनांक–06.02.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (5) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियोंको बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पूर्व से स्वीकृत पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी बिहार के 20 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

जो पंचायत सरकार भवन Finishing Stage में है, उसे मार्च 2026 तक निश्चित रूप से पूर्ण करते हुए क्रियाशील करने का निदेश दिया गया। शेष निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों को अप्रैल 2026 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया। जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है, उस पंचायत के तकनीकी सहायक एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि निर्धारित अवधि मे कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसकी नियमित समीक्षा करेंगें।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक राज्य के 38 जिलों में कुल 218 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है तथा 191 पंचायतों में भूमि का चयन किया

कृ0पृ0उ0

जाना शेष है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जिस पंचायत में भूमि उपलब्ध नहीं है, इससे संबंधित अंचलाधिकारी एवं DCLR से प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए जिला पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट होकर विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करें।

(ख) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया कि क्रमशः 180 एवं 214 पंचायतों में भूमि विवाद/अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस संदर्भ में पूर्व में भी समीक्षा की गयी परंतु आशातीत प्रगति नहीं हो पा रही है। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् प्रत्येक 15 दिनों पर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यपालक अभियंता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संवेदकों के साथ बैठक कर भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(ग) वर्ष 2025 में स्वीकृत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराये जाने वाले 1069 पंचायतों सरकार भवनों के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तकनीकी सहायक द्वारा 734 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें से मात्र 24 का ही तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गयी है। विभाग स्तर से LAEO से समन्वय स्थापित कर एकमत में आकर तकनीकी स्वीकृती प्रदान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा भौतिक रूप से निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर होने वाले जिला समन्वय समिति की बैठक में इसे एजेंडा के रूप में शामिल करें।

(घ) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 8053 पंचायतों में से 2623 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2149 पंचायत सरकार भवन संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 91 में बैंक, 2086 में RTPS केन्द्र, 10 में Post Office, 12 में NOFN, 13 में पुस्तकालय एवं 14 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अररिया, भागलपुर, भोजपुर, लखीसराय, पटना, रोहतास, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों द्वारा प्राकल्लन तैयार किये जाने की सूचना प्राप्त है। शेष जिलों के DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि स्थानीय स्तर के

लगातार.....

LAEO के कार्यपालक अभियंता से प्राकल्लन तैयार कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. शवदाह–गृहः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 8053 पंचायतों में से मात्र 1430 शवदाह–गृह की विवरणी ही पोर्टल में प्रविष्टि की गई है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए सरकारी भूमि पर अवस्थित एवं संचालित सभी शवदाह–गृह की विवरणी पोर्टल में प्रविष्ट की जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क).मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी चरणों को मिलाकर मधेपुरा, मधुबनी, सारण एवं शेखपुरा जिलें में कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापन का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि 31.03.2025 तक शेष सभी सोलर स्ट्रीट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी DPRO यह सुनिश्चित करे कि CMS का dashboard उनके कार्यालय कक्ष में होना चाहिए। सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के उपरान्त CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि मानी जाए। साथ ही समय–समय पर field inspection कराकर CMS पर प्रदर्शित आकड़ो का भी मिलान करा लिया जाए ताकि Data manipulation पर रोक लगाई जा सके।

यह भी निदेश दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा से पहले सभी service center की जाँच कर यह सुनिश्चित करे कि वह पूर्ण रूप से संचालित हो ।

(ख).समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक CMS Portal के अनुसार 72 घंटो से उपर Signal Loss एवं Faulty सोलर स्ट्रीट लाईट के कारण एजेंसियो पर कुल Rs 1,70,30,850/– का दंड अधिरोपित किया गया है परन्तु संबंधित DPRO के द्वारा एजंसियों से वसूली गयी राशि शून्य है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ग).मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के चतुर्थ चरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 250798 निर्गत कार्यादेश के विरूद्ध मात्र 33689 लाईटों का ही अधिष्ठापन किया गया है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो

लगातार.....

का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए।

(घ).जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भोजपुर, मधुबनी, सिवान, बांका, शेखपुरा एवं मधेपुरा जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत असंतोषजनक है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कैमुर, नवादा, रोहतास, सारण, शिवहर एवं वैशाली जिलें में चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसियों को अधिष्ठापन के विरूद्ध भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया है कि नियमानुसार जांच करते हुए एक सप्ताह के अन्दर विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगअंतर्गत ली गयी योजनाओं के भुगतान की अद्यतन स्थितिः–

(क)समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद्	27.80%
02	पंचायत समिति	52.53%
03	ग्राम पंचायत	56.05%

नालन्दा, दरभंगा, बक्सर, नवादा एवं मुंगेर जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर इस वित्तीय बर्ष की समाप्ति तक प्राप्त राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

(ख)षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:–

षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद्	32.21%
02	पंचायत समिति	62.70%

लगातार.....

03	ग्राम पंचायत	67.09%

नवादा, दरभंगा, नालन्दा, पटना, मधुबनी जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर इस वित्तीय बर्ष की समाप्ति तक प्राप्त राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषदएवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. DPRC/HSCकी स्थिति :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 14 जिलों में DPRC निर्माणाधीन है। सभी DDC को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

(क)बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

अद्यतन स्थिति तक पटना, दरभंगा, गया जी, नालंदा, सुपौल, बेगूसराय, नवादा, सहरसा, बक्सर, मुंगेर, अरवल एवं शिवहर जिलो में कुल लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विरूद्ध 60 प्रतिशत से भी कम उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि सभी DDC एव DPRO अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा कर तथा विशेष कैम्प आयोजित कर लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन करवायें। जिन जिलों में स्वीकृति आदेश एवं आवंटन आदेश की समस्या आ रही है वें विभाग के UC Cell से सम्पर्क कर उपलब्ध दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(ख)लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्र की जिलावार अद्यतन स्थिति :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्वी चंपारण, मुझफ्फरपुर, रोहतास, पटना, खगड़िया, पश्चिम चंपारण एवं सहरसा जिलो में लंबित डी0सी0 विपत्र की राशि अधिक है। निदेश दिया गया कि अपने–अपने जिलें का लंबित डी0सी0 विपत्रों की राशि का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

VIII. RTPS Application की जिलावार अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिलों यथा किशनगंज, अरवल, सुपौल, भागलपुर, मधेपुरा, बक्सर एवं सहरसा जिलों में पिछले 01 माह में प्रति पंचायत प्राप्त आवेदनों की संख्या काफी कम है, जो कि चिंताजनक है। जिस केन्द्र पर प्राप्त आवेदनो की संख्या कम है, उस केन्द्र के कार्यपालक सहायक के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। जो कार्यपालक सहायक RTPS केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहते है, उनकी उपस्थिति विवरणी अनुपस्थित कर DPRO को BPRO के द्वारा भेजा जाएगा एवं DPRO के द्वारा उस अनुपस्थिति के आधार पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. Summary of Gram Kachahari Having Registered Zero Case :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अररिया, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, नालंदा, पूर्णियां, सहरसा, सिवान एवं वैशाली जिलों में कुल 18 पंचायत ऐसे है जहाँ शून्य मामले पंजीकृत है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। सभी DDC/DPRO को निदेश दिया गया कि जिन जिलों में शून्य पंजीकृत ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें। यदि उन ग्राम कचहरियों के कार्यों में सरपंच के द्वारा बाधा उत्पन्न की जाए तो संबंधित सरपंच के विरूद्ध कार्रवाई हेतु लोक प्रहरी को सूचित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

X. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार का अद्यतन स्थिति :–

S.n	District Name	No. of CWJC	No. of MJC
01	Araria	00	00
02	Arwal	03	00
03	Aurangabad	18	01
04	Banka	04	01
05	Begusarai	07	00
06	Bhagalpur	04	00
07	Bhojpur	10	01
08	Buxar	07	00
09	Darbhanga	17	01
10	East Champaran	23	01
11	Gaya	04	01
12	Gopalganj	12	00
13	Jamui	09	00
14	Jehanabad	00	00
15	Kaimur	05	01
16	Katihar	04	00
17	Khagaria	13	00
18	Kishanganj	02	00
19	Lakhisarai	03	00

लगातार.....

20	Madhepura	02	00
21	Madhubani	09	01
22	Munger	09	00
23	Muzaffarpur	36	02
24	Nalanda	11	02
25	Nawada	11	01
26	Patna	18	00
27	Purnia	04	01
28	Rohtas	12	00
29	Saharsa	02	00
30	Samastipur	15	00
31	Saran	11	00
32	Sheikhpura	01	00
33	Sheohar	01	00
34	Sitamarhi	17	02
35	Siwan	07	02
36	Supaul	02	00
37	Vaishali	14	00
38	West Champaran	03	01
Total		**328**	**19**

निदेश दिया गया कि सभी लंबित MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को निदेश दिया गया विभागीय पत्रांक– 1531 दिनांक– 03.02.2026 द्वारा जिला परिषद के स्वामित्व वाली भूमि एवं परिसंपत्ति से संबंधित पूर्ण विवरणी जिला परिषद के कार्यालय में संधारित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापितकरते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

(मनोज कुमार)

सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/3299/पं०रा० पटना, दिनांक 19/2/2026

प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभीमुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.26

(निर्भय कुमार सिंह)

ज्ञापांकः—9प० / विविध—01—247 / 2023 / 3299 / पं०रा० पटना, दिनांक 19 / 2 / 2026

अवर सचिव

प्रतिलिपिः—सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिवके आशुलिपिक / लगातार पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.2.26

(निर्भय कुमार सिंह)

अवरसचिव

ज्ञापांकः—9प० / विविध—01—247 / 2023 / 3299 / पं०रा० पटना, दिनांक 19 / 2 / 2026

प्रतिलिपिः—आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई—मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

18.2.26

(निर्भय कुमार सिंह)

अवरसचिव